



कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243316)



पत्रांक:- 4454/कर अनु0/2023-24

दिनांक- 29/01/2024

"ई-निविदा सूचना"

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निम्नलिखित ठेकों की निम्न विवरणानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

ठेको का विवरण

क्र.सं	कार्य का नाम	ठेके की अवधि
1.	तहबाजारी शुल्क वसूली निविदा	19.05.2024 से 31.03.2025 तक
2.	मुर्गा-मीट, मछली विक्रय शुल्क निविदा	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
3.	ट्रेड लाईसेंस नगर सेवा पोर्टल के माध्यम नवीनीकरण/बनवाये जाने हेतु	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

Schedule/Information	Date	Time
Date of online Publication	01-03-2024	2.00 PM
Documents Download Start Date	01-03-2024	2.00 PM
Bid Submission Start Date	01-03-2024	2.00 PM
Bid Submission End Date	07-03-2024	12.00 P.M.
Offline Submission of Hard/Original copy of Document: End Date	07-3-2024	12.00 P.M.
Bid Opening Date	7-3-2024	1.00 P.M.

उपरोक्त ई-निविदायें <http://uktenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदाओं की नियम व शर्तों को नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243316)

पत्रांक:- /कर अनु0/2023-24

दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक ~~...~~ एवं ~~...~~ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 29/01/24 के अंक में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- श्री तपन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह ड्रा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा शर्तें उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> व नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टेण्डर खोलना सुनिश्चित करें।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

(शिवाजी पाण्डेय)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली हेतु वर्ष 2024-25 की शर्तें:-

1. मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली का क्षेत्र सम्पूर्ण नगर निगम, क्षेत्र होगा।
2. ठेका मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली हेतु निविदा प्रपत्र मु0 1000.00+18% GST रू0 180.00 सहित कुल रू0 1180.00 प्रति निविदा फार्म होगी जिसका डिमाण्ड ड्राफ्ट नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा, उक्त ड्राफ्ट निगम कार्यालय में निविदा खुलने से पूर्व जमा करना होगा।
3. ठेके की अवधि 01 वर्ष (दिनांक- 01.04.2024 से दिनांक-31.03.2025) तक होगी।
4. तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. तकनीकी निविदा के साथ, सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी) द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र जोकि रू0 5.00 लाख से कम न हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा छः माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं किया गया है। निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड, GST पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा निविदा की 10 प्रतिशत धनराशि रू0 90,000.00 (रू0 नब्बे हजार) एफ0 डी0 आर0 बतौर जमानत नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा खुलने से पूर्व उक्त सभी प्रपत्रों की प्रति नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. ठेका स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को 07 दिवस के भीतर कुल निविदा धनराशि का 1/2 भाग व 18 प्रतिशत जीएसटी धनराशि सहित निगम कोष में जमा करना आवश्यक होगा।
7. ठेके की शेष धनराशि छः माह के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) **POST DATED CHEQUE** नगर निगम कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होंगे जिन्हें किशत जमा न होने की स्थिति में निगम कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैक का अनादर(चैक बाउन्स) होने की स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर में निहित होगा।
9. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने से पूर्व 05 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 जो कि नगर आयुक्त पदनाम से बन्धक हो जमा करना अनिवार्य होगा।
10. सफल निविदादाता ठेकेदार को मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली हेतु लगाये गये कर्मचारियों के नाम व पता फोटो सहित अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि समय-समय पर निगम द्वारा जांच में व्यवधान उत्पन्न न हों, उक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क की वसूली किये जाने की सूचना संज्ञान में आने पर ठेकेदार का यह दायित्व व अधिकार होगा कि वह उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करें।

खुन्दगी चुनों, तम्बाकू नहीं

11. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के 07 दिन के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध गठित करने एवं अनुबन्ध के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, अनुबन्ध गठित किये जाने हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे तथा ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा।
12. अपरिहार्य कारणों से ससमय निविदा न हो पाने की दशा में समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
14. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तों के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
15. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों/देयकों के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।
16. ठेकेदार को मा0 न्यायालय/शासन/प्रशासन/नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
17. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर नगर निगम के नियमों/उपनियमों के अन्तर्गत नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर का निर्णय अन्तिम होगा, तथा न्यायिक मामलो में न्याय क्षेत्र रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर होगा।
18. ठेका मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली हेतु न्यूनतम निविदा राशि रू0 9,00,000.00 (रू0 नौ लाख मात्र) से कम नहीं होगी तथा जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।
19. ठेका मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली वाली रसीद ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने व्यय पर छपवाई जायेगी, रसीद की काउण्टर प्रतिपण (काउण्टर फॉईल) विवरण सहित अपने पास रखना आवश्यक होगा, जिसे विभागीय अधिकारी (नगर आयुक्त/सहा0 नगर आयुक्त/कर अधीक्षक/कर निरीक्षक) द्वारा मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।
20. ठेकेदार को कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, यदि भविष्य में कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण लॉक डाउन/आंशिक लॉक डाउन जैसे उपायों को अपनाया जाता है जिससे मुर्गा-मछली-मीट विक्रय शुल्क प्रभावित हो, तो उक्त में समिति की आख्या के आधार पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
21. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रू0 5,000/- (रू0 पाँच हजार मात्र), दूसरी बार में रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका

mg

9

जन्दगी चुर्न, तम्बाकू नहीं

Q

किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू-राजस्व वसूली की भाँति की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे-खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

22. ठेका मुर्गा, मछली, मीट का व्यवसाय करने वालों का शुल्क तत्कालीन नगर पालिका रूद्रपुर (वर्तमान नगर निगम) के 4 जुलाई 1998 में प्रकाशित राजकीय गजट में निर्धारित शुल्क के अनुसार हैं, जिस पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 वसूल किया जा सकता है।

- (IV) बकरा/बकरी/भेड़ रू0 05 प्रति नग
(V) सुअर रू0 10 प्रति नग
(VI) अन्य पशु जिसमें पक्षी भी सम्मिलित है रू0 02 प्रति नग

(निशा दुबे)
कर एवं रा0ना0मो0
नगर निगम रूद्रपुर

(महेश्वर दत्त पाण्डे)
कर अधीक्षक
नगर निगम रूद्रपुर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रूद्रपुर

(नरेश चन्द्र दुर्मापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर

जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

स्वच्छ शहर, स्वच्छ नदी